कार्यालयः प्रभागीय वनाधिकारी सिविल सोयम वन प्रभाग अल्मोड़ा।

E-mail-csalmdfo@rediffmail.com Phone/Fax-(05962)230229

पत्रांक 3373 / 10— दिनांक, अल्मोड़ा 15-03-2022

अल्पकालीन निविदा सूचना

महामहिम राज्यपाल, महोदय उत्तराखण्ड की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु मोहरबन्द निविदा दिनांक 22—03—2022 के सायं 3.00 बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन सायं 4:00 बजे प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा के कार्यालय में अधोहस्ताक्षरी अथवा अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिकृत प्रभागीय निविदा समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 21—03—2022 तक प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा के कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती है।

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	कार्य की लागत रू0 में (जी0एस0टी0 सहित)	नेक जमानत की धनराशि (रू0में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की तिथि	वन विभाग में ठेकेदार की पंजीकरण श्रेणी
1	क्षतिपूरक वृक्षारोपण अन्तर्गत जागेश्वर वन क्षेत्र में बजेली सिविल में 12.81 है0 क्षेत्र में अग्रिम मृदा कार्य	1118000.00	22,500	1000+18% जी0एस0टी0 सहित	31 मार्च 2022	डी एवं उच्चतर (अल्मोड़ा जनपद के वानिकी कार्यो में पंजीकृत ठेकेदार ही मान्य होगे।
2	क्षतिपूरक वृक्षारोपण अन्तर्गत जागेश्वर वन क्षेत्र में नैनोली सिविल में 8.00 है0 क्षेत्र में अग्रिम मृदा कार्य	698000.00	14,000	1000+18% जी0एस0टी0 सहित	31 मार्च 2022	डी एवं उच्चतर (अल्मोड़ा जनपद के वानिकी कार्यो में पंजीकृत ठेकेदार ही मान्य होगे।

निविदा की शर्ते व निविदा प्रपत्र अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती है तथा कार्य का प्राकलन भी।

निविदा की शर्ते निम्न प्रकार है :—

1— नेक जमानत की धनराशि 2 प्रतिशत निविदा के साथ राष्ट्रीय बचत पत्र/किसान विकास पत्र/बैंकों की एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0 के रूप में प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पदनाम से बंधक होनी अनिवार्य है।

2—सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी एवं अपूर्ण भरी निविदा भी मान्य नहीं होगी।

3— निविदा हेतु निविदा प्रपत्र इस कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस पर दिनांक 21—03—2022 तक रू0 1000+18% जी0एस0टी0 से क्रय किये जा सकते हैं।

4— निविदा स्वीकृत के उपरान्त अनुबन्ध सम्बन्धी शासकीय वसूलियां यथा जी0एस0टी0 रॉयल्टी तथा अन्य नियमानुसार ठेकेदार द्वारा देय होगी।

..........2............

5–निविदा दरें प्रतिशत में (कमी/अधिक) करनी अनिवार्य है। दोनों निविदाओं हेतु पृथक–पृथक दरें देनी होगी।

6–निविदा मोहरबन्द लिफाफे के बाहर कार्य का नाम अंकित करना आवश्यक है।

7– निविदा स्वीकृति की सूचना भेजने के उपरान्त निर्धारित अवधि के भीतर अनुबन्ध तथा जमानत जमा नहीं करने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

8–निविदादाताओं को परामर्श दिया जाता है कि निविदा देने से पूर्व स्थल की स्थिति एवं कार्य आदि का भली–भांति देख लें, निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त ठेकेदार द्वारा कार्यक्रम आदि के बारे में लगायी गयी कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

9–कार्य सन्तोषजनक होने के उपरान्त ही ठेकेदार को भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

10–किसी भी अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बताये हुये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा को सुरक्षित होगा।

11–विवाद की स्थिति में वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा का फैसला अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

12–निविदा पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा ही स्वीकार की जायेगी। डाक के विलम्ब या अन्य कारण से निविदा प्राप्त होने पर अधोहस्ताक्षरी का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

13–वानिकी कार्य में लगने वाली सामग्री आगणन में दी गयी विशिष्टयों के अनुसार लगानी होगी।

14–नियत समय तक कार्य पूर्ण न होने की दशा में कुल लागत का 0.1 प्रतिशत प्रतिदिन के आधार पर विलम्ब शुल्क देना होगा।

15–कार्य पूर्ण करने के लिए अवधि विस्तार देय नहीं होगा।

16–किसी भी शर्त में शिथिलता देने हेतु अधिकार प्रभागीय वनाधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

17– निविदा प्रपत्रों के साथ निविदादाता द्वारा पेन नं0, आधार नं0 तथा जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी अनिवार्य है।

प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग
अल्मोड़ा।

पत्रांक 3373 / [illegible] दिनांकित

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख वन संरक्षक, आई0टी0सैल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव उत्तराखण्ड, देहरादून।
3–अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4–मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
5– वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
6–जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
7–वन क्षेत्राधिकारी, जागेश्वर।
8– वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
9– प्रभागीय मानचित्रकार/प्रभारी लेखा, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
10– नोटिस बोर्ड।

प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग
अल्मोड़ा।

I.T.C.C